# कार्यालय पुलिस आयुक्त, लखनऊ।

फोन नं0–0522–2628965 फैक्स नं0 –0522–2202943

संख्या–ल–07/2020 दिनांक: 04 –04–2020

## ई–निविदा सूचना (अल्पकालिक)

पुलिस आयुक्त, लखनऊ के कार्यालय एवं अधीनस्थ समस्त कार्यालयों (थानों सहित) में वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान निम्नलिखित लेखन सामग्री आदि सम्पूर्ति किये जाने हेतु नियम एवं शर्तों के अन्तर्गत ई–निविदा (अल्पकालिक) आमंत्रित की जाती है:–

| क्र0 सं0 | लेखन सामग्री (नाम वस्तु व ब्राण्ड) | दर प्रति | प्रतिभूति धनराशि (ई0एम0डी0) | निविदा फीस (डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा |
|---|---|---|---|---|
| | टेण्डर फार्म में अंकित है। | दर संबंधित सामग्री के सामने बिडर द्वारा अंकित की जानी है। | रू0 2,00,000/– | रू0 500/– |

**नियम एवं शर्तें:–**

1– इस ई–निविदा की नियम व शर्तें एवं टेण्डर फार्म उ0प्र0 सरकार की वेबसाईट http://etender.up.nic.in एवं https://uppolice.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। इच्छुक निविदादाता उ0प्र0 सरकार की वेबसाईट http://etender.up.nic.in पर अपनी निविदायें ऑन लाइन सबमिट/अपलोड कर सकते हैं। टेण्डर फार्म में अंकित है।

2– निविदा शुल्क की स्कैन कॉपी निविदा के साथ ई–निविदा पोर्टल http://etender.up.nic.in पर भी अपलोड करना अनिवार्य होगा एवं निविदादाता को ई–निविदा खोले जाने से पूर्व निविदा शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो पुलिस आयुक्त, लखनऊ के पक्ष में देय हो जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनकी बिड Unresponsive मानते हुये कोई विचार नहीं किया जायेगा।

3– धरोहर धनराशि (ई0एम0डी0) बैंक ड्राफ्ट के रूप में पुलिस आयुक्त, लखनऊ के नाम/पक्ष में देय होना अनिवार्य है, जिसकी स्कैन कापी आनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा। निविदा खोले जाने से पूर्व निविदादाता द्वारा मूल प्रतिभूति राशि/अर्नेस्ट मनी EMD व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

4–निविदादाता/बिडर द्वारा ई–निविदा से संबंधित ई0एम0डी0 एवं निविदा प्रपत्र शुल्क को छोड़कर इससे संबंधित कोई भी अभिलेख आफलाइन मूलरूप में जमा नहीं किया जायेगा।

5– यदि किसी निविदादाता फर्म द्वारा निविदा से संबंधित कोई भी अभिलेख मूलरूप में आफलाइन/कूरियर के माध्यम से जमा किया जायेगा तो उसे संबंधित फर्म को वापस कर दिया जायेगा तथा उसकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

6– निविदा डालते समय प्रकिया की पूर्ण जानकारी/ट्रेनिंग अथवा किसी अन्य कारण से शर्तों को पूर्ण न कर पाने/बाधित हो जाने के कारण निविदा न पड़ने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

7– कोई भी निविदादाता जो उपरोक्त निविदा तिथि से पूर्व राज्य सरकार द्वारा जारी काली सूची में दर्ज हो, वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता है।

8– विशिष्ट परिस्थितियों में निविदा जमा/खोलने का स्थान व तिथि में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना उ0प्र0 पुलिस वेबसाइट https://uppolice.gov.in पर प्रदर्शित/अपलोड कर दी जायेगी।

9–निविदा अपलोड करने व खोलने आदि का पूर्ण विवरण एवं समय सारिणी निविदा की शर्तों में उल्लिखित है।

10– उपरोक्त निविदा के संबंध में अधिक जानकारी सी0यू0जी0 संख्या:–9454458076 से प्राप्त की जा सकती है।

11–निविदादाता का आयकर विभाग एवं जी0एस0टी0 में पंजीकरण अनिवार्य होगा। शासन द्वारा समय–समय पर लागू आयकर, लेबर सेस एवं अन्य करों की कटौती बिलों से नियमानुसार की जायेगी।

12– निविदा स्वीकृत होने से पूर्व निविदादाता को स्टेशनरी आइटमों के नमूने अलग से समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तुत करने होंगे।

13– जिस निविदादाता की निविदा स्वीकृत होगी उसे कार्यादेश प्राप्त करने से पूर्व रू0 100 के नान जुडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र भरना होगा एवं जमानत धनराशि के रूप में रू0 2.00 लाख(रू0 दो लाख) की बैंक गारण्टी जिसकी वैधता 15 माह की होगी जो पुलिस आयुक्त, लखनऊ के पक्ष में तैयार कराकर कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

14– स्वीकृत निविदादाता द्वारा यदि वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान किन्हीं कारणों से लेखन सामग्री की सम्पूर्ति बन्द कर दी जाती है तो जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी। लेखन सामग्री की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर निविदा बिना कोई कारण बताये निरस्त की जा सकती है, इसके लिये निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होंगे।

15– वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान पुलिस मुख्यालय से बजट प्राप्त होने पर ही सम्पूर्ति किये गये लेखन सामग्री के बिल का भुगतान किया जायेगा, लम्बित बिलों हेतु कोई अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी।

16– निविदा स्वीकृत करने अथवा निरस्त करने का अन्तिम निर्णय अधोहस्ताक्षरी द्वारा लिया जायेगा जो निविदादाता को मान्य होगा। किसी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र लखनऊ होगा।

17– निविदादाता को उक्त निविदा पर संबंधित आइटमों के सामने उसकी दर एवं ब्राण्ड अंकित कर निविदा पत्र अपलोड करना होगा।

18– निविदा शुल्क वापस नहीं होगी। जिस फर्म की निविदा स्वीकृत होगी उसे छोड़कर सभी फर्मों की ई0एम0डी0 धनराशि वापस कर दी जायेगी।

17– ई–टेण्डर की कार्यवाही निम्न सारिणी के अनुसार की जायेगी।

| | |
|---|---|
| निविदा अपलोडिंग की तिथि | दिनांक 04–04–2020 |
| बिडर्स द्वारा अपलोडिंग की अन्तिम तिथि | दिनांक 10–04–2020 समय 11.00 बजे तक |
| वित्तीय भाव पत्र खोलने की तिथि | दिनांक 10–04–2020 संभावित 14.00 बजे |

( रईस अख्तर )
पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय
पुलिस कमिश्नरेट, लखनऊ।

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आव यक कार्यवाही हेतु प्रेशित :–

1– पुलिस महानिदेशक के जीएसओ, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
2– अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
3– संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून/व्यवस्था एवं अपराध/मुख्यालय, लखनऊ।
4– जिलाधिकारी लखनऊ।
5– प्रबन्धक, यूपी इलैक्ट्रानिक कारपोशन लिमि0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त ई–निविदा(अल्पकालिक) को उ0प्र सरकार की वेबसाइटों पर अपलोड कराने तथा ई–टेण्डर की कार्यवाही सुगमतापूर्वक पूर्ण कराये जाने हेतु अपने कार्यालय से किसी जानकार प्रतिनिधि को नामित करने का कष्ट करें ताकि वह निर्धारित तिथि/समय पर उपस्थित रहकर उक्त ई–टेण्डर की कार्यवाही पूर्ण करा सके।
6– समस्त पुलिस उप आयुक्त/अपर पुलिस उप आयुक्त/सहायक पुलिस आयुक्त/प्रभारी निरीक्षक, लखनऊ।
7– लखनऊ स्थित पुलिस के समस्त मुख्यालय/कार्यालय/पीएसी वाहिनी।
8– जिला सूचना/विज्ञापन अधिकारी लखनऊ को उ0प्र0 सरकार की वेबसाइट पर प्रसारण हेतु।
9–अपर पुलिस उप आयुक्त, प्रोटोकाल/सहायक पुलिस आयुक्त, कार्यालय/आंकिक को इस निर्दे ा के साथ कि नियत तिथि पर कार्यालय मे उपस्थित रहकर टेण्डर की प्रकिया सम्पन्न कराना सुनिि चित करें।
10–आ ुलिपिक/वाचक, पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
11–दफ्तरी को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।